



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-16112022-240325
CG-KA-E-16112022-240325

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5067]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2022/कार्तिक 23, 1944

No. 5067]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2022/KARTIKA 23, 1944

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 14 नवम्बर, 2022

का.आ. 5287(अ).—रेल मंत्रालय, सरकार। भारत सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि, जिस के संबंध में अधिसूचना का.आ. 4699 (अ) दिनांक 17 दिसंबर, 2020 को रेलवे अधिनियम, 1989 के अध्याय IVA की धारा 20A के तहत जारी किया गया था और भारत के राजपत्र दिनांक 24/12/2020 में प्रकाशित किया गया था और बाद में अधिनियम की धारा 20E के तहत अधिसूचना का.आ. 5036(अ) दिनांक 07/12/2021 को भारत के राजपत्र, दिनांक 07/12/2021 में प्रकाशित किया गया था, क्योंकि दोहरीकरण कार्य एक विशिष्ट समय अवधि के भीतर पूरा किया जाना है, इसलिए, कार्य रेलवे भूमि के भीतर निष्पादित किया गया है और नीचे दी गई अनुसूची में दर्शाई गई भूमि का दोहरीकरण के लिए उपयोग नहीं किया गया है और उक्त परियोजना के लिए अब और आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	रा.थाना नम्बर	प्लॉट संख्या	अंश/फुल	वापस लिया जाने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	होदार	30	1	अंश	0.0630
2	होदार	33	1	अंश	0.0318
				कूल	0.0948

3	शेल्वोना	6	1	अंश	0.0383
4	शेल्वोना	6	2	अंश	0.0112
5	शेल्वोना	6	6	अंश	0.0295
				कूल	0.0790
6	गिरदोलिम	122	1	अंश	0.0146
7	गिरदोलिम	122	8	अंश	0.0229
8	गिरदोलिम	274	0	अंश	0.1377
				कूल	0.1752
				कूल योग	0.3490

[फा. सं. 271/सीएन/बीएनसी/2018-19/भूमि/1219/दिनांक 17.10.2022]

पी. वी. वी. सत्यनारायण, उप मुख्य अभियंता जनरल (नोडल अधिकारी)

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Western Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Bengaluru, the 14th November, 2022

S.O. 5287(E).—The Ministry of Railway, Govt. of India, hereby withdraws from acquisition, the lands specified in the Schedule below, in respect of which Notification vide S.O. 4699 (E) dated 17th Dec' 2020 was issued under Section 20A of Chapter IVA of Railway Act, 1989 and published in Gazette of India dated 24/12/2020 and subsequent declaration under Section 20E of the Act vide notification S.O. 5036(E) dated 07/12/2021 published in the Gazette of India, dated 07/12/2021, as the doubling work has to be completed within a specific time period, hence, the work has been executed within the Railway lands and the lands indicated in the below schedule has not been utilized for doubling and is no more required for the said project.

SCHEDULE

Sr. No.	Name of Village	R. Thana No.	Plot No.	Part/full	Area to be withdrawn in Ha
1	2	3	4	5	6
1	Odar	30	1	Part	0.0630
2	Odar	33	1	Part	0.0318
				Total	0.0948
3	Xelvona	6	1	Part	0.0383
4	Xelvona	6	2	Part	0.0112
5	Xelvona	6	6	Part	0.0295
				Total	0.0790
6	Guirdolim	122	1	Part	0.0146
7	Guirdolim	122	8	Part	0.0229
8	Guirdolim	274	0	Part	0.1377
				Total	0.1752
				Grand Total	0.3490

[F. No. 271/CN/BNC/2018-19/Land/1219/dated 17.10.2022]

P. V. V. SATYANARAYANA, Dy. Chief Eng. General (Nodal Officer)